न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 14/2018

01. मांगीबाई पुत्री सरिया जाति मेघवाल निवासी धूमरखेडी तहसील मांगरोल हाल पत्नि छीतरलाल निवासी पाडलिया तह0 मांगरोल
02. कैलाशी बाई पुत्री सरिया पत्नि छीतरलाल जाति मेघवाल नि0 धूमरखेडी हाल राजपुरा वार्ड बारां जिला बारां।

प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

01. दीपचन्द
02. धर्मराज
03. लोकेश
04. राजेश
05. बच्चीबाई

पिसरान गोगराज जाति मेघवाल निवासी घूमरखेडी तहसील मांगरोल

06. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील प्रार्थीया : श्री कर्मवीर शर्मा

वकील अप्रार्थीगण : श्री अमित कुमार गौड

दायरा दिनांकः 25.05.2018

निर्णय दिनांक : 07.02.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जर्ये वकील एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि वाके माल धूमरखेडी तहसील मांगरोल मे आराजियात खसरा नं. 33 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं. 34 रकबा 0.04 हे0, खसरा नं. 251 रकबा 0.66 हे0, खसरा नं. 256 रकबा 1.14 हे0, खसरा नं. 260 रकबा 0.60 हे0, खसरा नं. 363 रकबा 0.37 हे0, कुल 6 किता रकबा 2.87 हे0 बखाता जगदीश पुत्र रंगल्या हिस्सा 2/3, धर्मवीर,दीपचन्द, लोकेश, राजेश बाई पिसरान गोगराज, बच्ची बाई बेवा गोगराज हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल के खाते में दर्ज है। उक्त वर्णित विवादित आराजियात मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2036–39 में बतौर खातेदार किशनी बेवा भारमल हिस्सा 1/3, सरिया रंगलिया बेटे श्यामा जाति चमार बाद गॉव बांट बराबर की खोतेदारी मे दर्ज रही है जिसके खसरा नं. 7 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 29 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 4 बी0 10 बि0, खसरा नं. 103 रकबा 6 बी0 17 बि0 एवं खसरा नं. 108 रकबा 4 बी0 15 बि0 कुल 5 किता रकबा 16 बी0 8 बिस्वा के रूप में दर्ज रही है जो परिवर्तित होकर वर्तमान खसरा नं. 33, 34, 251, 256, 260 व 363 दर्ज हुए है। यह कि उक्त भूमि बाबत अप्रार्थी कम 6 ने दिनांक 27.8.92 को इंतकाल नंबर 19 प्रमाणित करते हुए उक्त वर्णित खातेदार किशनीबाई एंवं सरिया सहित रंगलिया का नाम फौती बताकर खारिज कर दिया तथा पटवारी रिपोर्ट मे लिखा गया कि खातेदारान फौत हो गये है। मुताबिक शजरा रंगलिया के गोगराज, रेवडिया, जगदीश, छोट्या पुत्रगण एवं बेवा कॅवरी मौजूद है अतः बाद जांच वारिसान का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे तथा उक्त रिपोर्ट पर

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारॉं (राज०)

Scanned with CamScanner

प्रतिपक्षी नं0 6 ने गलत रूप से किशनी व सरिया को लाऔलाद बता दिया जबकि वस्तुतः प्रार्थीगण सरिया की पुत्रिया है। जो वर्तमान मे जिवित है तथा ववक्त प्रमाणीकरण इंतकाल नं0 19 तारीखी 27.8. 1992 को भी जिवित थी। यह कि भारमल की बेवा किशनी, भारमल की मृत्यु के बाद सरिया ने नाते चली गई जिसके अनुसार किशनी की मृत्यु पर किशनी का हिस्सा भी सरिया को प्राप्त हुआ है इस प्रकार विवादित आराजियात मे प्रार्थीयागण का 2/3 हिस्सा है जो राजस्व रिकोर्ड मे गलत रूप से अंकन नही किया है। प्रार्थीगण अपने विवादित भूमि में 2/3 हिस्से की खातेदार घोषित होने योग्य है। उक्त विवादित आराजियात में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा है जिसे वे प्राप्त करने व अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने की अधिकारणी है । यह कि ग्राम पंचायत शाहपुरा ने दिनांक 21.12.2006 को इन्तकाल नं. 203 प्रमाणित करते हुए खातेदार गोगराज, छोट्या, कंवरी का मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र फौत होना पाया गया, छोट्या लाऔलाद फौत हुआ है। कंवरी व छोट्या का नाम खाते से हटाया गया है। इसी इंतकाल मे गोगराज 27.1.2005 को फौत, धर्ममाल बालिग, दीपचन्द नाबालिग, लोकेश कुमार नाबालिग, बच्चीबाई, राजेशबाई बैवा व पुत्रियो के नाम दर्ज करने की रिपोर्ट होने पर यह इन्तकाल स्वीकृत किया गया है जो प्रार्थीगण के हक के विपरीत होने से शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

सरिया का दिनांक 15.4.92 को स्वर्गवास हुआ है। प्रार्थीयागण सरिया की मृत्युपरांत तन्हा एवं स्वतंत्र रूप से अपनी भूमि को स्वयं काश्त कर रही है। एवं निवेदन किया कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पांबद किया जावें कि प्रार्थीयागण को उनके 2/3 हिस्सा भूमि से जबरन बेदखल न करे एवं शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा 2/3 हिस्सा या किसी भी हिस्से को रहन बेचान न करे, न बंधक करे, भारित न करे एवं यथास्थिति कायम रखे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 25.5.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी कम 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में प्रार्थना पत्र की सभी मदो को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि उपरोक्त वर्णित भूमि में जगदीश पुत्र रंगल्या का हिस्सा 2/3 तथा शेष 1/3 हिस्सा अप्रार्थीगण का है उक्त प्रार्थना पत्र में 2/3 के हिस्सेदार जगदीश पुत्र रंगल्या को पक्षकार नही बनाये जाने से प्रार्थना पत्र अपूर्ण है तथा खारिज होने योग्य है। उक्त आराजीयात को 60–70 वर्षो से निर्वाध रूप से अप्रार्थीगण के पिता गोगराज काश्त करते चले आ रहे है तथा गोगराज जी की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त कर रहे है। अप्रार्थी कम 6 ने दिनांक 27.08.1992 को इन्तकाल नं0 19 को तस्दीक करते हुयें खातेदार किशनी सरिया का खोला गया इन्तकाल सही है क्योकि भारमल की पत्नि किशनी थी तथा भरमल व किशनी ला ओलाद थे प्रार्थीगण झुठे व असत्य रूप से किशनी को सरिया की पत्नि बता रखा है जो गलत है किशनी ने अपने जीवनकाल में कभी भी सरिया से नाता विवाह नही किया है तथा सरिया ने रंगल्या को पूरे गांव के सामने अपना गोद पुत्र बनाया था इसलिए खोला गया इन्तकाल नं0 19 पूर्णतया सही है। यह कि भारमल की पत्नि किशनी भारमल की मृत्यु के बाद कभी भी सरिया के नाते नही गई थी । प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में पारिवारिक सजरा भी गलत रूप से बनाया गया है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी । बहस में वकील पक्षकारान ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा-हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल, जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner

1. प्रथम दृष्टया मामला : अप्रार्थीगण 1 ता 5 रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070–2073 में सभी अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार के रूप में वर्णित है। जबकि प्रार्थीगण का नाम रिकॉर्डेड खातेदार में नही है। प्रार्थी कम 1 एवं 2 के खातेदारी अधिकारो के संबंध में निर्णय मूल वाद में लिया जाएगा। साथ ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के संबंध में भी कोई प्रमाण पत्रावली में प्रस्तुत नही किया । 1973 RRD पेज 188 तथा 1968 RRD पेज 489 के अनुसार एक सह अभिधारी जिसका वाद भूमि पर कब्जा है, उसके विरूद्ध अस्थायी आदेश जारी नही किया जा सकता है। अतः समस्त पत्रावली व दस्तावेज तथा सुनी गई बहस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में जाता है एवं विरूद्ध प्रार्थीगण पाया जाता है।
2. अपूर्णनीय क्षति : विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण कम 1 ता 5 के नाम रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। अप्रार्थीगण के पिता गोगराज 60–70 वर्षो से विवादित आराजीयत पर काश्त करते चले आ रहे थे। गोगराज की मृत्यु के पश्चयात अप्रार्थीगण आराजीयत विवादित भूमि पर काश्त कर रहे है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो निश्चित ही अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।
3. सुविधा का संतुलन : चूंकि उपरोक्त विवेचना में प्रकरण प्रथम दृष्टया एवं अपूरणीय क्षति की दृष्टि से अप्रार्थीगण के पक्ष में लंबित होता है। अप्रार्थी कमांक 1 ता 5 विवादित आराजीयत में रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

अतः बहस वकील राजस्व रिकोर्ड, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं उक्त तीनो बिन्दूओ की विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner